

कार्यपत्र सं. १५००/००००  
१५.१२-१२ का पत्र है।

१९.१२.१२ पगावली पेश हुई बकुलाम उपा  
सापलान के पत्र में प्राइमरि केस सबित  
नही होने पर इस न्यायालय द्वारा जारी  
अर-थर्ड निषेधाज्ञा क्रमांक २१.६.१२  
केकेट क्रिया जाता था तथा प्रां पग अर-थर्ड  
निषेधाज्ञा व प्रां पग अर-थर्ड ०६ रूल १७ सी.पी.सी.  
खोज क्रिया जाता है विनवृत्त निर्जित अलग से  
लिखाया जाकर पगावली शामिल क्रिया गता।  
पगावली निर्जित से शुभाह होकर मुख दवे के  
साथ शामिल रहे।

उपरण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी ( करौली )

